<u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 336 / 2018 आर.सी.टी. कं. 341 / 18 संस्थापन दिनांक—30.06.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

रविन्द्र पिता रणजीतसिंह राजपूत उम्र 22 साल, निवासी मोहीपुरा थाना अंजड,जिला बडवानी।

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 30.06.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **रविन्द्र पिता रणजीतिसिंह** के विरूद्ध भादिव0 की धारा— 279, 337 के अंतर्गत दिनांक 04.01.2018 को समय 20:30 बजे से 22.30 बजे के मध्य स्थान— सेंगवाल फाटा ठीकरी में वाहन आयशर द्रक क0 एम पी 09 जी.एफ. 9492 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर तुलसीराम का मानव जीवन संकटापन्न कर उपहित कारित करने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि,दिनांक 04.01. 2018 को लगभग 20.30 बजे आहत तुलसीराम उसकी बैंलगाडी से गन्ना लेकर घटवा फैक्ट्री गया था वहां से गन्ना खाली कर वापस अपने घर वापस बैलगाडी लेकर घर जा रहा था कि, रास्ते में सेंगवाल फाटा के पास ठीकरी रोड पर आते समय पीछे से एक आयशर ट्रक एम.पी. 09 जी.एफ. 9492 को उसके चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आहत तुलसीराम की बैलगाडी को पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसे

\sim		
ान	ਹਰਹ	

बाये हाथ कि, हथेली में चोटे लगी है तथा उसके दोनो बैलों को भी चोटे लगी । जिससे तुलसीराम को उपहित कारित हुई आरोपी रिवन्द्र के विरूद्ध थाने के अप0 क0 08/16 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी रिवन्द्र पिता रणजीतिसंह के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी रिवन्द्र पिता रणजीतिसंह ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य की आयशर द्रक कं. एम.पी. 09 जी.एफ. 9492 का परीचालन उपेक्षापूर्ण करने से तुलसीराम का मानव जीवन संकाटपन करने एवं उसे उपहित पहुचाना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को भा.द.सं की धारा 279, 337 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 के आरोप में क्रमशः 1000/— रू एवं 500/— रू के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमशः 07 एवं 03 दिवस का प्रथक प्रथक कारावास भुगताया जावे।

07— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन आयशर द्रक कं. एम.पी. 09 जी.एफ. 9492 को वाहन स्वामी को वापस की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0 (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र